उत्तर प्रदेश फंडामेन्टल रूल 56 (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1970)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 10 मार्च, 1970 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 13 मार्च, 1970 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 31 मार्च, 1970 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 1 अप्रैल, 1970 ई0 को प्रकाशित हुआ)

फंडामेन्टल रूल 56 का संशोधन करने और तदधीन या उसके संबंध में किये गये कतिपय कार्यो का वैधीकरण करने के लिए

अधिनियम

भातर गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फंडामेन्टल रूल 56 (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

फंडामेंटल रूल 56 का संशोधन

2--फाइनेंशियल हैन्ड बुक, खंड 2, भाग 2 से 4 तक, में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल्स के नियम 56 के खंड (ए) में, जिसे आगे उक्त नियम 56 (ए) कहा गया है, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंडों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड और स्पष्टीकरण रख दिये जाये, और 1 जनवरी, 1964 से रखे गये समझे जायें, अर्थात:--

"प्रतिबन्ध यह है कि---

(1) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, कोई कारण दिये बिना, किसी सरकारी सेवक से तीन महीने की नोटिस पर अथवा ऐसे नोटिस की कुल या आंशिक अवधि के स्थान पर उसके बदले में वेतन पर उसके 55 वर्ष अथवा ऐसी कम आयु, जिसमें ऐसी नोटिस की अवधि, जिसके बदले में वेतन दिया जाय, जोड़ कर 55 वर्ष हो जाय, प्राप्त कर लेने के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है, किन्तु ऐसी नोटिस की पूरी अथवा आंशिक अवधि को, जिसके बदले में वेतन दिया जाय, सरकारी सेवक को देय पेंशन एवं मृत्यु और सेवा निवृत्ति उपदान का आकलन करने के प्रयोजन से, किन्तु अन्य किसी प्रयोजन से नहीं, उसकी अर्ह सेवा में जोड़ा गया समझा जायगा, अथवा

(2) सरकारी सेवक 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरान्त, नियुक्ति प्राधिकारी को 3 माह का नोटिस देने के बाद, स्वेच्छया सेवानिवृत्त हो सकता है:

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि--

(1) किसी ऐसे सरकारी सेवक द्वारा, जिसके विरूद्ध आनूशासिक कार्यवाही विचाराधीन या विवेक्षित हो, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने के लिए दिया गया नोटिस तब प्रभावी होगा यदि वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाय, किन्तु शर्त यह है कि किसी विवेक्षित आनुशासिक कार्यवाही की दशा में, सरकारी सेवक को इसकी सूचना नोटिस की समाप्ति के पूर्व दे दी जाय,

(2) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन किसी सरकारी सेवक द्वारा एक बार दिया गया नोटिस उसके द्वारा, नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय, वापस नहीं लिया जायगा।

स्पष्टीकरण-- (1) नियुक्ति प्राधिकारी प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन सरकारी सेवक को सेवानिवृत्त करने का, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट है, निर्णय तब लेगा यदि उक्त प्राधिकारी को ऐसा करना लोक-हित में प्रतीत हो, और राज्य सरकार समय-समय पर, ऐसे कार्यकारी अनुदेश जारी कर सकती है जिसमें तदर्य पथ-प्रदर्शक सिद्धांत इंगित हों, किन्तु यहां पर दी गयी किसी बात से इस बात का, कि ऐसा निर्णय लोक-हित में लिया गया है, आदेश में उल्लेख करने की, अथवा ऐसे अनुदेशों के प्रकाशन करने की, अपेक्षा न समझी जायगी।

(2) प्रत्येक ऐसा निर्णय, जब तक कि इसके प्रतिकूल प्रमाणित न कर दिया जाय, लोक-हित में लिया गया उपधारित किया जायगा।

(3) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे ऐसे पद पर या सेवा में, जिससे सरकारी सेवक को सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा की गयी हो या सरकारी सेवक सेवानिवृत्त होना चाहता हो, मौलिख नियुक्तियां करने का अधिकार हो"।

वैधीकरण

3-- किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उक्त नियम 56 (ए) के अधीन या उसके संबंध में किया गया या किये जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य और की गयी या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्यवाही, जिसके अन्तर्गत किया गया कोई निर्णय या आदेश, जारी किये गये कार्यकारी अनुदेश, या दिया गया कोई नोटिस या नोटिस के बदले में दिया गया या भुगतान किया गया या भुगतान के लिए आदिष्ट वेतन, अपेक्षित या कार्यान्वित सेवा निवृत्त अथवा स्वीकृत या भुगतानकृत पेंशन भी है, इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित उक्त नियम 56 (ए) के अधीन या उसके संबंध में किया गया या की गयी और सदैव से किया गया या की गयी समझी जायेगी, और वे उतने ही वैध समझे जायेंगे तथा सदैव से बैध रहे समझे जायेंगे मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 56, 1969 का निरसन

4-- उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल 56 (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1969 एतदद्यदारा निरस्त किया जाता है।